बिहार विधान-सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि ४ जून, १९७० ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में वृहस्पतिवार, तिथि ४ जून, १९७० को पूर्वाह्न ११ बजे सभापति, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

*श्री पूरनचन्द—सभापति महोदय, बिहार के भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी हजारों को तायदाद में गाँव-गाँव से यहाँ आकर सचिवालय के फाटक पर एकत्रित हुए हैं । मैं मुख्य मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे बाहर जाकर उनकी फरियाद सुनें । उनलोगों की मांग पदोन्नति तथा वेतनमान के सम्बन्ध मे है और वे लोग अपनी मांग को लेकर बाहर चिलचिलाती घूप में खड़े हैं । माननीय मुख्य मंत्री को उन प्रदर्शनकारियों से जाकर मिलना चाहिए ।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शांति, शांति । आप बैठ जाएँ ।

*श्री रामचन्द्र प्रसाद—सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । १ अप्रील १९७० को प्रश्न संख्या ८६ और ११, अप्रील १९७० को अल्पसूचित प्रश्न संख्या क्ष-२३९ के उत्तर सदन के पटल पर नहीं रखे गये हैं । पहली तारीख को जब सवाल उठाया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसकी जानकारी आपको दी जायगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है । सरकार के आश्वासन के बावजूद जवाब अबतक नहीं प्राप्त हो रहे हैं । इसपर आप अपनी व्यवस्था दें ।

*श्री विपिन बिहारी सिंह—२८-५-७० को प्रश्न संख्या ३४८ का भी जवाब न तो दिया ही गया है और न सभा की मेज पर रखा ही गया है । मैं आशा किये हुए था कि यह दूसरे दिन ऑर्डर-पेपर में आयगा क्योंकि इसका जवाब न तो लिखित आया और न मौखिक ही ।

अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण

(क) पूर्णियां जिला में कीड़े तथा अन्य प्रकोपों के कारण जूट तथा खरीफ की फसलें बरबाद होने से उत्पन्न बेरोजगारी तथा भूखमरी की स्थिति।

*श्री सत्यनारायण यादव — मैं निम्नलिखित लोक-महत्व के अत्यन्त गंभीर एवं भयंकर परिस्थिति की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ —

पूर्णियां जिला के वर्त्तमान दुःस्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्ष जूट तथा खरीफ की फसलें कीड़े तथा अन्य तरह के प्रकोपों के कारण उक्त जिले के प्रायः सभी प्रखंडों में, बरबाद हो गयी। खाद्यान्न के अभाव के कारण किसानों में पिछले छः महीने से हाहाकार मचा हुआ है। किसानों की दुःस्थिति के कारण खेतिहर-मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। इस वर्ष भी अभी तक वर्षा नहीं होने के कारण खेतिहर मजदूरों की रोजी-रोटी एक भयंकर समस्या बनी हुई है। जिले भर के विधायकों द्वारा अनेकों बार राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया। दिनांक १८-४-७० को हुई ज़िला विकास समिति, पूर्णियां ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर जिले की दुःस्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। दुःख की बात है कि जिले भर के दुःखी गरीब किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान नहीं जा सका। मात्र दिखावा के लिए छोटी-सी धनराशि, जो वैसे बड़े जिले के लिए नहीं के बराबर है, उस जिले को दी गयी। पूर्णियां जिला इस प्रदेश में, आबादी की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, फिर भी सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। कटिहार अनुमंडल के तीन प्रखंडों को अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित भी किया गया तो वहाँ अभावग्रस्त क्षेत्र में जैसा सहायता कार्य होना चाहिए, नहीं हो रहा है। सहायता कार्य के नाम पर कठिन-श्रम-योजना संचालन का मात्र ढोंग हो रहा है।

*श्री शमशेर जंग बहादुर सिंह— मेरा एक प्वाएन्ट ऑफ ऑर्डर है। मैं जानना चाहता हूँ कि 'जीरो आवर' में कोई भी महत्वपूर्ण सवाल पर कोई, सदस्य ध्यानाकृष्ट कर सकते हैं या नहीं ?

सभापति (श्री शकूर अहमद)—ऐसा नियम में कहीं नहीं है।

श्री सत्यनारायण यादव — नरपतगंज प्रखण्ड के सात पंचायत क्षेत्रों (बसमतिया, घुरना, पथराहा, अंचरा, नवाबगंज, सोनापुर तथा आंशिक भगही)

में सिंचाई का किसी तरह का प्रबन्ध नहीं है। उक्त क्षेत्र पिछले लगातार पांच वर्षों से अनावृष्टि तथा बाढ़, दोनों से बुरी तरह प्रभावित होते आ रहे हैं। इन पंचायत क्षेत्रों के लगभग पैंतालिस हजार किसान मजदूर रोजी-रोटी के अभाव में त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। असंख्य घरों में तीन-तीन शाम तक चूल्हे नहीं जल पाते हैं। मैंने बराबर राजस्व मंत्री का ध्यान उन दु:खी जनों की ओर आकृष्ट किया है, किन्तु सहायता के नाम पर किसी तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर शीघ्र उन भूखे लोगों के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हुई, तो वहां भूखमरी होगी ही और उसकी जवाबदेही सरकार पर होगी।

उपर्युक्त गम्भीर विषय की ओर संकेत करते हुए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र अभाव से प्रभावित उन क्षेत्रों में कठिन-श्रम-योजना चलाने, तकावी ऋण देने तथा अन्य तरह की सहायता की व्यवस्था की जाय और कार्यों में मुस्तैदी के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि आवंटित की जाए।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका जवाब १० जून, १९७० को दिया जायगा।

श्री आनन्दी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शांति, शांति। अभी इसका समय नहीं है।

(ख) महुआडांड़ में चोरी-कांड की पुनरावृत्ति एवं पादरियों द्वारा ईसाइयों को संघर्ष हेतु उभारे जाने से उत्पन्न स्थिति।

*__श्री पूरनचन्द__—मैं अत्यन्त ही लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव की सूचना देता हूं।

आज महुआ डांड़, जिला पलामू में पुनः चोरी कांड की पुनरावृत्ति होने जा रही है। महुआ डांड़ की जनता की जानमाल खतरे में पड़ गई है। पादरी लोग ईसाईयों को उभाड़ कर आदिवासी, हिन्दू, मुसलमान, हरिजन के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते हैं। "उन्हें बाहर करो, ये दिक्कत हैं" वे लोग वहां ऐसा प्रचार चला रहे हैं। पूरे वन के इलाके में नागालैंड से सुनियोजित योजना बनाकर चलायी जा रही है। दिनांक १९-५-७० को दुर्गाबाड़ी पर कब्जा करने क्रिश्चियन आये जिसमें संघर्ष होते-होते बचा। दिनांक २४-५-७० को पूरे महुआडांड़-थाने के ईसाई औरत-मर्द हजारों की तायदाद में हाजिर होकर सभा-प्रदर्शन आदि किये हैं। मैं सरकार का

ध्यान आकर्षित करने एवं स्थिति पर काबू करने के लिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रहा हूँ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका जवाब ११ जून, १९७० को दिया जायगा।

श्री तुलसी सिंह—सभापति महोदय, हाउसिंग विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सभी कर्मचारियों को अप्रिल और मई महीने से तनखाह नहीं मिली है जिससे उनकी भुखमरी की स्थिति हो गई है। मैंने सम्बद्ध सचिव से सम्बन्ध स्थापित किया था। उन्होंने दो दिनों के अन्दर वेतन-भुगतान करने के लिए कहा था। लेकिन आज १५ दिन हो गये, भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शांति, शांति। माननीय सदस्य बैठ जाएँ।

श्री आनन्दी प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

(इस अवसर पर कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री रामबहादुर आजाद—सभापति महोदय, मैं एक इम्पोर्टेन्ट बात कहना चाहता हूँ कि ···· ····।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—माननीय सदस्य, इस तरह खड़े होकर बोलना शुरू नहीं करें, यह ठीक नहीं है।

श्री रामबहादुर आजाद—मेरी एक ध्यानाकर्षण की सूचना है। मुँगेर जिलान्तर्गत मानसी में ···· ····

सभापति (श्री शकूर अहमद)—आप कृपया बैठ जाएँ। शांति, शांति। आप बैठ जाएँ। इस तरह से काम नहीं चल सकता है।

(माननीय सदस्य, हल्ला में भी पढ़ते ही रहे।)

श्री आनन्दी प्रसाद सिंह—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। रुपौली क्षेत्र में चार व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। उस पर ध्यानाकर्षण की सूचना ली जाए।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यनारायण दुदानी—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक सब कमिटी बना दी जाय जो धनबाद जिला में अकाल की स्थिति के बारे में विचार करे।

(सदन में हल्ला)

श्री चन्द्रशेखर सिंह—शांति रखिए, मैं बता रहा हूँ। धनबाद क्षेत्र को अकालग्रस्त डिक्लेयर किया गया है।

सभापति (श्री शकूर अहमद—आपका सुझाव हो सकता है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(हल्ला)

ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकारी वक्तव्य:

(क) खगड़िया प्रखंड में गंगा नदी से कटाव-पीड़ित ग्रामीणों के लिए पुनर्वास एवं खाद्यान्न की व्यवस्था।

*श्री चन्द्रशेखर सिंह—सरकार का ध्यान मुंगेर जिला के खगड़िया अनुमंडल के अन्तर्गत ग्राम नयाटोला रहीमपुर, तथा सोनबरसा ग्रामों के कटाव-पीड़ितों को पुनर्वास की ओर आकृष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में यह कहना है कि उपर्युक्त ग्राम गंगा के कटाव से पीड़ित हैं। इन ग्रामों के कटाव-पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए सन् १९६५-६६ से ही भूमि-अर्जन की जाती रही है परन्तु अर्जित भूमि पुन: कटाव में पड़ जाने के कारण पुनर्वास की जमीन अदल-बदल होती रही। अन्त में इनके पुनर्वास के लिए ग्राम बछौता में ४१-८९ एकड़ भूमि के अर्जन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है तथा भूमि-अर्जन अधिनियम के अनुसार बिहार गजट में प्रकाशन के लिए भेजी जा चुकी है। इन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार सचेष्ट है तथा आशा करती है कि पुनर्वास का कार्य शीघ्र संपन्न हो जायगा। केवल कटाव-ग्रस्त-क्षेत्र, होने के कारण वहाँ के व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रबंध सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। हाँ, संकट-ग्रस्त क्षेत्र में सरकार द्वारा रोजगार के लिए श्रम-योजनाएँ चलायी जाती हैं।

श्री रामबहादुर आजाद -- कबतक आप पुनर्वास के लिए इन्तजाम करने जा रहे हैं?

श्री चन्द्रशेखर सिंह— तीन महीने के अन्दर पुनर्वास का काम समाप्त हो जायगा।

श्री रामबहादुर आजाद—गंगा में बाढ़ आने के पहले यह काम क्यों नहीं पूरा किया जाता है?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—गंगा में बाढ़ आने को होगी, तो आयगी।

श्री रामबहादुर आजाद—आप जानते हैं कि कटाव से वहाँ जमीन कट रही है और जून के अन्त में बाढ़ आ सकती है। इसलिए बाढ़ आने के पहले पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं पूरी की जाती है?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—बाढ़ से बचाव का काम भी चल रहा है। एक हाई पावर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने उनके पुनरीक्षण के लिए कायम किया है। पुनर्वास में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि बराबर जमीन ली गयी और वह गंगा के कटाव में कटती गयी है। अब भूमि अर्जित हो चुकी है। दो-तीन महीने के अन्दर यह कार्य सम्पन्न हो जायगा। माननीय सदस्य, वहाँ जाने पर देखेंगे कि कार्य में कितनी प्रगति हुई है।

श्री रामबहादुर आजाद—मैं जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन सी जमीन ली गयी, जो कटाव में कटती गयी है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका विवरण नहीं है, लेकिन जितना भी सेलेक्शन किया गया वह फिर कटाव में चला गया, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ।

श्री रामबहादुर आजाद—आपके अफसर कितने अयोग्य हैं कि जो जमीन ली गयी वह गंगा के कटाव में कट गई, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—यह अन्दाज नहीं हुआ था। वहाँ के बसने वालों को ऐसा अन्दाज रहता है। वहाँ पर अप्रत्याशित बाढ़ आती ही रहती है इसलिए अब वहाँ करारी जमीन पर भूमि अर्जन की गयी है।

श्री रामबहादुर आजाद—ऐसा क्यों हुआ, इसकी जिम्मेवारी किस पर है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—हम, आप, सब ही पर है।

श्री रामबहादुर आजाद—हमारे ऊपर इसकी जिम्मेवारी नहीं है, आप पर है क्योंकि आप सरकार में हैं।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—वहाँ के बसने वालों का सहयोग हो, पदाधिकारियों का सहयोग हो, तब इस काम को कार्यान्वित करने में आसानी होगी; यों तो वहाँ के लोग चाहते हैं कि गाँव के नजदीक बस सकें।

श्री रामबहादुर आजाद—जिन अफसरों ने जमीन ली है उन अफसरों का नाम क्या बतला सकते हैं ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह—इसका विवरण हमारे पास नहीं है।

(ख) मुंगेर नगर में पेय जल की कमी एवं उसे दूर करने की व्यवस्था।

*श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—मुंगेर नगर की आबादी १९६१ में ९०,१३७ थी जो बढ़कर अनुमानतः १,१०,००० हो गयी होगी, इसके अनुसार ३० गैलन प्रति व्यक्ति की दर से करीब ३३ लाख गैलन की आपूर्ति होनी चाहिए, परन्तु अभी सिर्फ २२ लाख गैलन की आपूर्त्ति होती है जिससे शहर में दो-तीन घण्टा पानी मिलता है। इस सम्बन्ध में कहना है कि मुंगेर जिला की जलापूर्त्ति-योजना पहले पंचवर्षीय-

योजना के पहले से भी चली आ रही है और इसमें समय-समय पर सरकार द्वारा सहायता दी गयी है फिर भी अभी जो पानी की आपूर्त्ति होती है उसका विवरण इस प्रकार है :—

मुंगेर शहर के फिल्टर पानी आपूर्त्ति को रखने की औसत शक्ति २ लाख गैलन प्रति दिन है जिसमें से २३ भाग गैलन जल फिल्टर पैंड को प्रति आठ घण्टे के बाद, यन्त्र से साफ करने के काम में आता है। भूगर्भ रिजरवायर की कुल शक्ति ७ लाख गैलन है जहाँ सुबह से पानी आपूर्त्ति के लिए जल जमा किया जाता है। इसको एक लम्बी सूची है। इसलिए मैं उस सूची को यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। जिनका यह ध्यानाकर्षण है, उनको मैं यह सूची बतला सकता हूँ। पानी की आपूर्त्ति के समय में एक तरह का दबाव नहीं रह पाता है क्योंकि उतना पानी ऊपर नहीं चढ़ाया जा सकता है जितना कि वह निकल जाता है। नतीजा है कि एक घण्टे की आपूर्त्ति करने के बाद नीची जगहों में ही पानी मिलता है।

वितरण-पाईप-लाईन बैठाने की त्रुटियों के कारण पुरानीगंज, मकसूसपुर, बीचगाँव, संदलपुर, रायसर, पुरबसराय, माधोपुर, लालदरवाजा, चंडी स्थान, दलहट्टा, नयागाँव, जोरदेहरा, श्रामतपुर, घोसीटोला, बेलनबजार आदि क्षेत्रों में जलापूर्त्ति की कमी महसूस होता है। हम ऊपर ही कह आये हैं कि मुंगेर की जलापूर्त्ति-योजना पहले से ही चली आ रही है और उसमें, अभी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की जरूरत है :—

(क) पंपिंग सेट्स की शक्ति अपर्याप्त है, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए पुराने सेट्स को हटाकर नये सेट्स को बनाना आवश्यक है।

(ख) भूगर्भ-रिजरवायर-निर्माण जरूरी है जिससे स्टोरेज की शक्ति दबायी जाय।

(ग) फिल्टरेशन-प्लान्ट की शक्ति में वृद्धि होनी चाहिए।

(घ) कच्चा-पानी पंपिंग-सेट्स की शक्ति में वृद्धि।

(ङ) मोटर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल-आपूर्त्ति के अचानक रूकने के समय यह काम में लाया जा सके।

(च) रामपुर-भिखारी टावर से वासुदेवपुर बुस्टिंग पम्प स्टेशन तक अलग राइजिंग मेन बिछाया जाय।

(छ) २० अश्व शक्ति का डबल स्टेज पम्पिंग सेट फिला-क्षेत्र में बिछाया जाय जिससे पानी की आपूर्ति में सुधार हो सके।

सरकार मुंगेर जिला आपूर्ति-योजना के लिए समय-समय पर सहायता देती आ रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २,३६,०८५ रु० दिये गये थे। फिर, १९५४ में २ ६० लाख रुपये दिए गए। तिथि १-१०-५८ को १३,०१,७०० रु० की योजना स्वीकृत हुई जो बाद में चलकर २१,७६,००० की हो गई। वह योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत हुई और उतनी राशि दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में १,८८,६७० रु० दिए गए तथा १९६६ में ८७,००० रु० दिए गए। मुंगेर नगरपालिका की जलापूर्ति के लिए २०२,५०० रु० की योजना प्राप्त हुई। इतनी राशि १९७०-७१ में देने का विचार है। बाकी योजना आने पर सरकार सहायता देने पर विचार करेगी।

मुंगेर-नगरपालिका इसी बीच एक ६० अश्व शक्ति का दूसरा पम्पिंग सेट्स बैठाने जा रही है ताकि हेड वर्क्स टावर से जलापूर्ति के दबाव में वृद्धि हो। नगर-पालिका के सेट्स मौजूद हैं जिसके बैठाने में ७ हजार रु० व्यय होंगे।

नगरपालिका द्वारा १४० अश्वशक्ति के पंप बँगलोर से मँगाने के लिए आदेश दिया जा चुका है जिसका खर्च, १२,५०० रुपये हैं। वार्षिक सफाई तथा रिसेनडिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स तथा सेटलिंग टैंक्स का डिसिलीटींग किया गया है जिसका व्यय १८,००० रुपये हैं।

इसके सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि मार्च, १९६८ में मुंगेर के नजदीक गंगा नदी में दूषित पदार्थ पाया गया और बरौनी शोध कारखाना से निकले हुए पदार्थ पाए गए, जिससे पानी दूषित हो गया। इसके लिए जाँच-समिति बैठाई गई और जांच-समिति की अनुशंसा के अनुसार मुंगेर-नगरपालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये दिए गए। इसके बाद इस साल भी पानी के दूषित होने की खबर मिली, किन्तु पानी का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि पानी का दूषित होना अनुज्ञेय सीमा के भीतर ही था। इसका स्थायी समाधान यह हो सकता है कि गंगा के जल को नीचे की तह से लिया जाय अथवा नलकूप द्वारा जल की आपूर्ति की जाय। इस आशय को ध्यान में रखकर जन-लोक-स्वास्थ्य अभियन्त्रणा विभाग को अनुरोध किया जा रहा है कि वे इस तरह की योजना बनाकर दें।

मुंगेर शहर के वाटर वर्क्स की तीन तरफ की दीवारों को ऊपर उठा दिया गया है ताकि अवांछनीय तत्व प्रवेश नहीं कर सकें। इसमें १५,००० रु० खर्च हैं। वाटर टैक्स से प्राप्त आय २,४१,००० रु० प्रति वर्ष होते हैं, किन्तु जलापूर्ति सुधार के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—पानी की व्यवस्था करना आपके अधिकार में है या किसी दूसरे विभाग के।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—पी० एच० ई० डी० साढ़े बारह प्रतिशत काटकर म्युनिसिपैलिटी को पैसा देती है। स्टाफ मेन्टीनेन्स के लिए पी० एच० ई० डी० देती है।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—साढ़े बारह प्रतिशत की कटौती क्यों करते हैं?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—स्टाफ के पे और एलाउन्स के लिए कटौती करते हैं। मेरे यहाँ अनुभवी स्टाफ उनके लिए नहीं हैं।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—दो लाख एकतालिस हजार रुपये जल-कर के रूप में जो लिए जाते हैं वे क्या जलापूर्ति पर ही खर्च हो जाते हैं?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह म्युनिसिपैलिटी को जितना रुपया देते है उसका विवरण हमने दे दिया है। यह राशि मेंटीनेंस पर खर्च होती है।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—इसका विवरण आप देने को तैयार हैं?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—समय मिलने पर दूँगा, अभी मेरे पास नहीं है।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—सभापति महोदय, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार ये रुपये जलापूर्ति पर खर्च नहीं होते हैं बल्कि सड़क बनाने पर खर्च होते हैं। उस दो लाख रुपये को आपने जलापूर्ति मे लगाया है या नहीं?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—म्युनिसिपैलिटी ने वहाँ जाकर क्या किया है इसको पूछकर ही बताया जा सकता है।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—अगर पूर्णरूप से अवगत नहीं हैं, तो सारी चीज को जान लें फाइल देखकर। तब मैं फिर इस प्रश्न पर पूरक पूछूँगा। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि जो दो लाख रुपये बरौनी ऑयल रिफाइनरी ने दिया उसको किस काम में आपने लगाया? पानी की आपूर्ति में लगाया गया है या नहीं?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—आपका प्रश्न पानी की कमी के बारे में है। अगर आप पहले ही इसके बारे में पूछते, तो मैं इसके बारे में पूरा जवाब देता।

श्री रवीश चन्द्र वर्मा—मैं कहता हूँ कि मन्त्री महोदय, कृपया इस प्रश्न को समझें। आपने उत्तर में कहा है कि बरौनी ऑयल रिफाइनरी ने दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के लिए दिया है, तो क्या उस रुपये को पानी की आपूर्ति में खर्च किया गया या दूसरे काम में लगाया गया?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—जो रुपया दिया गया है उसको म्युनिसिपैलिटी को लौटा दिया गया है।

श्री रवीशचंद्र वर्मा—आखिर उस दो लाख रुपये को जलापूर्ति में खर्च किया गया है या नहीं ?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—रुपये किस चीज में खर्च हुए उसका पता लगाकर ही कहा जा सकता है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—उनका सवाल सीधा है। दो लाख रुपये बरोनी ऑयल रिफाइनरी से मिले वे दूसरे काम में डायवर्ट किये गये या पानी के सप्लाई में खर्च किये गये हैं ?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—वहाँ पानी गन्दा हो गया था, उसमें कुछ खर्च हुआ और बाकी किस मद में खर्च हुआ, उसे मैं बाद में बता दूँगा।

श्री रवीशचंद्र वर्मा—आपने कहा कि टकी पुरानी है जिसके कारण पानी में दिक्कत है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वाटर-ट्रक से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—हमलोगों की योजना है कि जहाँ कहीं पानी की दिक्कत है वहाँ पानी देने का प्रबन्ध किया जाय।

श्री रवीशचन्द्र वर्मा—वहाँ म्युनिसिपैलिटी में कई वाटर-ट्रक मौजूद हैं तो अभी उनके द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री शत्रुघ्न शरण सिंह—गर्मी के दिनों में इनके द्वारा पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जायगी।

सभापति (श्री शकूर अहमद) अब श्री चतुरानन मिश्र की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब हो।

(जिस समय माननीय राज्य मन्त्री, श्री नरसिंह बैठा जवाब देने के लिए खड़े हुए उस समय माननीय मन्त्री, श्री शत्रुघ्न शरण सिंह ने फ्लोर क्रॉस किया।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—माननीय मंत्री ने फ्लोर क्रास किया है।

(इसके पश्चात् माननीय मंत्री पुनः अपनी जगह पर आकर बैठ गये।)

(ग) बिहार राज्य में तिथि १० जून, १९७० से होनेवाले बिजली मजदूरों की हड़ताल एवं तत्सम्बन्धी मांगों की पूर्त्ति।

श्री नरसिंह बैठा—बिहार स्टेट एलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन ने ४ मई, १९७० को बिहार राज्य विद्युत-बोर्ड को एक हड़ताल की नोटिस दी जिसमें

उन्होंने यह धमकी दी कि यदि उनकी नौ सूत्री माँगे पूरी नहीं की गयीं, तो वे १० जून १९७० को राज्य भर में बिजली मजदूरों की हड़ताल संगठित करेंगे। यह नोटिस बोर्ड को १० मई को प्राप्त हुई। हड़ताल की नोटिस देने के पहले यूनियन ने नौ-सूत्री माँगों की एक सूची बोर्ड को भेजी थी और उनपर बातें करने का अनुरोध किया था। इन माँगों पर बोर्ड के अध्यक्ष एवं यूनियन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच ३० अप्रैल, १९७० को बातें हुईं। और चूँकि उस दिन समयाभाव के कारण कुछ बिन्दुओं पर बातें नहीं हो सकीं? इसलिये यह तय हुआ कि अन्य बिन्दुओं पर १३ मई १९७० को बातें की जायँ। इसी बीच हड़ताल की सूचना पाकर बोर्ड को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर १३ मई को बाकी बिन्दुओं पर सदभावनापूर्ण वातावरण में बातें हुईं। कुछ माँगों पर तो बोर्ड और यूनियन काफी निकट आ गये और बाकी पर दोनों दलों ने अपना-अपना मत रखा। फिर श्रमायुक्त ने २९ और ३० तारीख को समझौता कार्यवाही की। कल ३ जून को भी समझौता-कार्यवाही हुई और कुछ विन्दुओं पर बोर्ड और यूनियन के बीच एकमत्य हो सका। विद्युत बोर्ड ने यह भी करार किया है कि वह इस करारनामे की तारीख से ५ महीने के भीतर विद्युत उत्पादन, संचारण, वितरण और ग्राम-बिजलीकरण के निमित्त प्रचालन तथा अनुरक्षण पक्ष में लगभग १५,००० स्थायी पद सृजित कर वरीयता एवं सेवा अभिलेख के अनुसार उनकी पूर्ति करेगी। अन्य विन्दुओं पर आज सायँकाल में श्रमायुक्त के समक्ष बातें होंगी।

गत हड़ताल जो यूनियन द्वारा फरवरी, १९६९ में आम चुनाव के समय में संगठित की गई थी। उसमें मजदूरों द्वारा जो व्यवहार किये गये थे उसके कारण २९६ कर्मचारियों को निलम्बित रखा गया था। हड़ताल के समाप्त होने के बाद बोर्ड एवं यूनियन के बीच एक उच्चस्तरीय वार्ता हुई जिसमें यूनियन की ओर से बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष यह सुझाव रखा गया कि वे स्वयं देख लें कि क्या इतने मजदूरों को निलम्बित रखना आवश्यक है। अध्यक्ष ने एक पुनर्विलोकन (रिव्यू) कराके १२४ मजदूरों को निलम्बन से मुक्त कर दिया। फिर २३ अप्रैल, १९६९ को यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय वार्ता हुई तो यूनियन की ओर से पुनः रिव्यू करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार जुलाई के अन्त तक १६ को छोड़कर अन्य सभी मजदूर निलम्बन से मुक्त कर दिये गये। इन १६ में से ४ को छोड़ अन्य सभी को मुक्त कर दिया गया था। यूनियन ने यह आश्वासन दिया कि वे संयुक्त रूप से बोर्ड की लाइनों, शक्ति गृहों एवं सम्पत्तियों को किसी क्षति

एवं बरबादी से बचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस संदर्भ में आज समझौता-वार्ता के बीच बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया कि बाकी ४ मजदूरों को भी निलम्बन से मुक्त कर दिया जायेगा। बोर्ड ने जिन मजदूरों को कुछ छोटी सजा दी है उनके सम्बन्ध में बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि यदि किसी मामले में यह साबित किया गया कि दी गई सजा न्याय संगत नहीं है, तो बोर्ड इसपर पूरी तौर पर विचार करेगा।

यूनियन की दूसरी मांग जिसको चर्चा ध्यानाकर्षण-सूचना में की गयी है, वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में है। विद्युत-उद्योग के लिये भारत सरकार द्वारा गठित वेज बोर्ड ने अपनी सिफारिशें भारत सरकार को दे दी हैं और वे उनके विचाराधीन हैं। जबतक भारत सरकार उन सिफारिशों पर अपना निर्णय घोषित नहीं करती, तबतक वे लागू करने योग्य नहीं होती। वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में बोर्ड को सालाना करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे जो बोर्ड की वर्तमान आर्थिक स्थिति में देना सम्भव नहीं है। बोर्ड ने अपना टैरिफ उच्चतर पुनरिक्षित करने का जो प्रस्ताव पेश किया है, वह सरकार के विचाराधीन है। अर्थ सहायता तथा ब्याज की क्रमिक दर के सम्बन्ध में बोर्ड ने जो प्रस्ताव किया है वह भी सरकार के विचाराधीन ही है। इसी बीच सरकार ने कृषि कनेक्शन सम्बन्धी, न्यूनतम गारंटो उठा देने की घोषणा की है। जाहिर है कि इससे बोर्ड को आर्थिक क्षति उठानी होगी। अभी तक बोर्ड का संचित घाटा करीब ३२ करोड़ रुपये का है। चालू वित्तीय वर्ष में २.८७ करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना थी। टैरिफ में अबतक बढ़ोत्तरी होने के कारण तथा कृषि-कनेक्शन पर से न्यूनतम गारन्टी हट जाने पर यह घाटे की रकम और भी बढ़ जायेगी। ऐसी हालत में बोर्ड की कठिनाइयों का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। जबतक बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं लाया जाता, तबतक भली नीयत रखते हुए भी वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने में बोर्ड को वस्तुतः भारी कठिनाई है। इसे जो वित्तीय संस्थाएँ कर्ज देती हैं वे इसके लिये उच्चतर दर से प्रतिलाभ चाहती हैं। यह बात सही नहीं है कि केरल विद्युत बोर्ड ने वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कर दिया है। यह कथन केरल विद्युत बोर्ड से प्राप्त प्रमाणिक सूचना के आधार पर किया जा रहा है।

जहांतक बोर्ड में भ्रष्टाचार को चर्चा को गई है, यह आजकल एक आम शिकायत है जो किसी भी संस्था के सम्बन्ध में प्रायः सुनी जाती है। सरकार ने

श्री रणछोड़ प्रसाद की अध्यक्षता में बोर्ड में सुधार लाने के सुझाव देने के अभिप्राय से एक समिति गठित की है जो काम कर रही है। बोर्ड ने स्वयं भी एक सतर्कता-शाखा कायम की है और इस तरह स्वयं भी इस दिशा में सजग है।

श्री चतुरानन मिश्र—सभापति महोदय, पहली बात यह है कि मन्त्री महोदय ने जवाब में जो कहा है उससे मालूम होता है नोटिस की धमकी उन्होंने समझ लिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार को ऐसा समझना चाहिए.......

सभापति (श्री शकूर अहमद)—आप प्रश्न पूछें।

श्री चतुरानन मिश्र –दो प्वायन्ट्स हैं। पहला प्वायन्ट यह है कि पिछली दफा बोर्ड के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी उस अवधि का ऐडजस्टमेंट ननगजटेड इम्प्लाइज की तरह इ० एल० में कर लिया जाय और दूसरा प्वायन्ट यह है....

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शान्ति। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं ?

श्री चतुरानन मिश्र—मजदूरों ने हड़ताल की थी इसलिए उनकी एक मांग यह है कि ननगजटेड इम्प्लाइज की तरह हड़ताल की अवधि को उपार्जित छुट्टी मान ली जाय। ननगजटेड इम्प्लाइज ने भी हड़ताल की थी और उनकी इस अवधि को अण्डर-लीव मान लिया गया है, ऐसा फैसला हो चुका है। दूसरा प्वायन्ट है कि वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार इन्टिरिम रिलीफ मजदूरों को दी जाय।

सभापति (श्री शकूर अहमद —आप प्रश्न नहीं पूछते हैं, एक-एक करके आप प्रश्न पूछें।

श्री चतुरानन मिश्र—मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि हड़ताल के दिन का ऐडजस्टमेंट इ० एल० में सरकार करने जा रही है या नहीं।

श्री नरसिंह बैठा—उनके जितने भी सुझाव हैं, बोर्ड ने उन्हें मान लिया है। वेज बोर्ड का जो रिकोमेन्डेशन है उसके आधार पर कमेंट्स भेजा गया है। जब सेन्टर से आयगा तो विचार किया जायगा, अभी वहाँ विचार हो रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र—हम पूछ रहे हैं हड़ताल के बारे में कि हड़ताल की अवधि को इ० एल० में माना जायगा या नहीं ?

श्री नरसिंह बैठा—जितने प्वायन्ट्स हैं उनमें एक को छोड़कर शेष सभी मान लिए गये हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—९ मांगें थीं। वेज-बोर्ड के अलावे सभी मान लिए गए हैं।

श्री चतुरानन मिश्र—एक प्वायन्ट यह था कि मजदूरों को अन्तरिम रिलीफ दी जायगी या नहीं जबतक वेज-बोर्ड का रिकोमेन्डेशन नहीं आ जाता है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—अभी कुछ नहीं कहना है। इसपर भी विचार किया जायगा। जितनी मांगें थीं उनपर हो गया है, एक पर सेन्टर से आयगा तो फाइनली आने पर ही किया जायगा।

श्री चतुरानन मिश्र—हजारों बिजली मजदूर आ गये हैं। उनके सामने जा करके कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा इसलिये सरकार कुछ स्पेसिफिक कहे तो इससे शान्ति होगी।

श्री दारोगा प्रसाद राय—स्पेसिफिक सरकार कुछ नहीं कह सकती है। बिजली-बोर्ड और इम्प्लाइज के बीच की बात है। कंसिलिएशन वगैरह चल रहा है, इसमें सरकार की आवश्यकता होगी तो हमारे सामने ले आइएगा।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री चले गये। सदन को आश्वासन दिया जाय कि जुडिशियल इनक्वायरी भागलपुर के लिए उन्हें बैठाना है। वहाँ घोर अन्याय हो रहा है। प्रोफेसर और विद्यार्थी गिरफ्तार हो रहे हैं। मुख्य मन्त्री सदन को छोड़कर क्यों चले गये ?

सभापति (श्री शकूर अहमद)—शिक्षा पर डिमांड है, वे आयेंगे। आप बैठ जायँ।

आय-व्ययक: अनुदानों की मांगों पर मतदान: शिक्षा।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"शिक्षा" के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७१ को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए ४५, ४८, २७, १०० रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

(यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।)

(माननीय मन्त्री इसके बाद लिखित भाषण पढ़ने लगे।)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय शिक्षा मन्त्री सदन छोडकर चले गये। क्या राज्य मन्त्री इस विभाग की मांग को सदन में पेश कर सकते हैं ?

सभापति (श्री शकूर अहमद)—कर सकते हैं।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद मेहता—क्या प्रभारी मन्त्री ने आपसे अनुमति ली है। यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष से प्रभारी मन्त्री अनुमति लेकर ही मांग प्रस्तुत करते हैं।

सभापति (श्री शकूर अहमद)— ऐसी परम्परा नहीं है।

(राज्य-शिक्षा मन्त्री फिर लिखित भाषण पढ़ने की कोशिश करने लगे।)

डा० रामराज प्रसाद सिंह—मेरा एक ायण्ट ऑफ ऑर्डर है। शिक्षा की मांग जो पेश करते हैं, वह मन्त्री मांग पेश करने के बाद कुछ बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं। यही सदा की परम्परा रही है।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद मेहता आप कोई स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, और भाषण देते समय नोट से सहायता ले सकते हैं।

श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में स्टेटमेंट देना है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हुजूर, आप इसको क्या मानते हैं—यह बजट स्पीच है या पॉलिसी स्टेटमेंट।

श्री सुनील मुखर्जी—लिखित स्पीच पढ़ा नहीं जाता है, मगर प्वायन्ट्स लिखे हुए रहते हैं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—आप उस लिखित भाषण को छपवाकर माननीय सदस्यों को बांट दें। इससे सदन का समय भी बर्बाद नहीं होगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह—नीति के सम्बन्ध में जो पोर्शन है उसको पढ़ने दिया जाय, और बाकी के सम्बन्ध में मौखिक भाषण दे दें।

श्री नागेन्द्र झा—श्री धनिक लाल मण्डल गत संविद् के समय अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या आपके समय कोई मन्त्री लिखित भाषण नहीं पढ़ते थे ?

श्री धनिकलाल मण्डल – जी नहीं, कभी नहीं।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—कुमार गंगानन्द सिंह जब शिक्षा मन्त्री थे, मुझको याद है कि एक बार उन्होंने लिखित भाषण पढ़ा था, मगर इसपर बहुत एतराज हुआ था।

श्री बद्यनाथ प्रसाद मेहता—सभापति महोदय, माननीय मन्त्री, श्री नागेन्द्र झा अपनी सीट पर बैठे-बैठे पदाधिकारी- दीर्घा में बैठे हुए ऑफिसर के साथ बात कर रहे हैं। यह संसदीय परम्परा के खिलाफ है।

*श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—सभापति महोदय, प्रारंभिक शिक्षा में जितनी प्रगति होनी चाहिए थी उतनी प्रगति नहीं हुई है फिर भी हम इसके लिए सजग हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसमें प्रगति हो। हम इस बात की कोशिश में हैं कि छठा और सातवाँ वर्ग में एक सुनिश्चित ढ़ाई हो। महिलाओं की शिक्षा हमने ८वें वर्ग तक निःशुल्क कर दी है और हम ८वें से ११वें वर्ग तक भी शिक्षा निःशुल्क करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने राशि की व्यवस्था कर ली है। पहले शिक्षक लोग वेतन पाने के लिए दर-दर मारे फिरते थे और उनको अपना वेतन पाने में कठिनाई होती

थी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चेक द्वारा उनके वेतन का भुगतान किया जाय। हमने ऐसा इसलिए किया है कि हमारे जो शिक्षक हैं वे सम्मानपूर्ण तरीके से वेतन पायें। हमारे प्रारम्भिक शिक्षकों को पेंशन और पी० एफ० पाने में कठिनाई होती थी और १५-१५ वर्षों तक उनको पेंशन नहीं मिल पाता था। हमने ऐसी योजना बनाई है कि अवकाश प्राप्त करते ही उनको पेंशन मिल जाय। हमारे पास २५ हजार ट्रेण्ड शिक्षक बैठे हुए हैं, हम उनको अब नौकरी देने जा रहे हैं। प्रारम्भिक स्कूल के मकान बहुत पुराने हो गये थे इसलिए हमने उनकी मरम्मत करने के लिए राशि की व्यवस्था की है और नये मकान के निर्माण की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए हम एक निगरानी-समिति बनाने जा रहे हैं जो पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में निगरानी रखेगी। जिला-स्तर पर हम शिक्षा और शिक्षक का काम आगे बढ़ाने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन-कमिटी बनाने जा रहे हैं।

हम राज्य स्तर पर एक समिति का निर्माण करने जा रहे हैं। शिक्षा की जो पद्धति है, परीक्षा की जो पद्धति है उसमें सुधार लाने को हम सोच रहे हैं। प्राइमेरी स्तर की परीक्षाओं को किस तरह सेन्ट्रलाइज करें, शिक्षा के कितने पहलू हैं, उन पर सरकार विचार कर रही है। मिथिला-विश्वविद्यालय की क्या रूपरेखा हो, इसके संगठन के लिए एक समिति बनाई गई है और सरकार जागरूक है कि किस दिशा में प्रगति हो। इस तरह शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं। माननीय सदस्यों के विचारों को मैं मानता हूँ। हमने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि विधानमण्डल के जो माननीय सदस्य हैं, संसद के जो माननीय सदस्य हैं, उनके विचारों को आप सुनें और उसपर कारंवाई करें। जब तक उनके विचारों को आप नहीं सुनेंगे, राष्ट्र की प्रगति नहीं होगी। हम उनकी राय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं। आपके जो सुझाव आयेंगे, उससे हमारे राज्य के शिक्षा-स्तर में सुधार आयेगा और उससे हम लाभ उठा सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

सभापति (श्री शकूर अहमद)—आप अपना लिखित भाषण सदस्यों में वितरित करवा दीजिएगा। [× ×] अब दो-तीन मिनट शेष हैं। माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव पेश करनेवाले हैं वे अपना कटौती का प्रस्ताव पेश कर दें। भाषण अन्तराल के बाद होगा।

टिप्पणी [× ×]—लिखित भाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।